

संविधान सभा - गठन, संविधान

एवं वाद - विवाद

(Constituent, assembly formation, constitution making process and debate)

राजनीति विज्ञान के मान्य सूत्रों में एक सूत्र यह है कि समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता, इसके साथ जुड़ा एक अन्य सूत्र यह है कि राज्य अपने संविधान के बिना नहीं हो सकता। यद्यपि संविधान (Constitution) शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों जैसे शरीर की रचना, शक्ति संबंध का विधान, किसी राजनीतिक दल का विधान आदि)

प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होना चाहिए। तथा यह कि शासन का गठन व संचालन संविधान के नियमों के अनुसार होना चाहिए। तथा यह कि शासन का गठन व संचालन संविधान के नियमों के अनुसार होना चाहिए।

संविधान का अर्थ तथा उसकी आवश्यकता
(Meaning and necessity of the constitution)

सरल शब्दों में, राज्य के संविधान की परिभाषा लिखित तथा अलिखित नियमों एवं विनियमों के निकाय के रूप में की जा सकती है जिनके द्वारा सरकार का गठन होता है और वह कार्य करती है।

संविधान सभा का गठन

(Formation of constituent assembly)

संविधान सभा द्वारा करीब तीन वर्षों में निम्नलिखित कार्य किए गए।
भारत का संविधान बीसवीं सदी की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है।

महान संस्थापकों ने न जाने कितने राजनीतिक अवरोधों को पार कर इस कार्य को शुरुआत 9 दिसम्बर 1946 को किया।